आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
26/7/23	न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।	

एस०ए०आर०वाद सं०-865/13-14

(1) रतिया मुण्डा, पिता स्व. करियो मुण्डा, निवासी इरगु टोली, थाना–सुखदेवनगर,राँची (2) ललित नबी हेम्ब्रोम, पिता स्व. करियो मुण्डा, निवासी भारत माता चौंक, हरमु रोड, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची। ... प्रथम पक्षगण।

बनाम

(1) मो. साबिर, पिता मो. याकुब, (2) हाजरा खातुन, पति नामालुम (3) मो. लियाकत, पिता कबीर मियाँ, (4) मो. मुस्ताक, पिता मो. इमामुउदीन (5) मो. क्यूम, पिता मो. हनीफ, (6) शकीर खातुन, पति नामालुम, (7) मो. मुस्तकीम अंसारी, पिता–स्व. हुसैन अंसारी, (8) मो. वसीम, पिता मो. सलीम, (9) जुबैदा खातुन, पति मो. सैराज, सभी निवासी नियर मोती मस्जिद, रोड नं.–2, हिन्दपीढ़ी थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला राँची। ...द्वितीय पक्षगण।

आदेश

प्रथम पक्षगण (1) रतिया मुण्डा, पिता स्व. करियो मुण्डा, निवासी इरगु टोली, थाना–सुखदेवनगर,राँची (2) ललित नबी हेम्ब्रोम, पिता स्व. करियो मुण्डा, निवासी भारतमाता चौंक, हरमु रोड, थाना–सुखदेवनगर, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्षगण ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित भूमि द्वितीय पक्षगण (1) मो. साबिर, पिता मो. याकुब, वो (2) हाजरा खातुन, पति नामालुम (3) मो. लियाकत, पिता कबीर मियाँ, (4) मो. मुस्ताक, पिता मो. इमामुउदीन (5) मो. क्यूम, पिता मो. हनीफ, वो (6) शकीर खातुन, पति नामालुम, वो

M:- 26/7/23

क्र०पृ०उलटें

(7) मो॰ मुस्तकीम अंसारी, पिता–स्व॰ हुसैन अंसारी, (8) मो॰ वसीम, पिता मो॰ सलीम, (9) जुबैदा खातुन, पति मो॰ सैराज, सभी निवासी नियर मोती मस्जिद, रोड नं॰–2, हिन्दपीढ़ी, थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
राँची	205	125	793	41 कट्ठा 09 छटांक

प्रथम पक्षगण ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान बकाश्त भूइहरी, खेवट नं॰–3/3 नाम लगान पाने वाला मुश्मात शुगीआ वगैरह के नाम दर्ज है।

प्रथम पक्षगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्षगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन भूमि पर कब्जा कर प्रथम पक्षगण को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रथम पक्षगण का कहना है कि वर्णित भूमि आर.एस.खतियान सर्वे खतियान बकाश्त भूइहरी, खेवट नं॰–3/3 नाम लगान पाने वाला मुश्मात शुगीआ वगैरह के नाम से दर्ज है। आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते वर्णित भूमि पर खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी हुए। प्रथम पक्ष रतिया मुण्डा के मृत्यु के बाद इनके पुत्र लेदुआ हेमरोम (मुण्डा) को प्रस्थापित किया गया। द्वितीय पक्षगण जबरन वर्णित भूमि पर अवैध रूप से दखलकार है।

द्वितीय पक्षगण को नोटिस निर्गत गया, नोटिस प्राप्ति के बाद तथा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और ना ही कारण पृच्छा एवं साक्ष्य दाखिल किये। जबकि द्वितीय पक्ष गण को वर्णित भूमि की नोटिस स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी है।

कृ॰पृ॰उलटें

26/7/23

नोटिस प्राप्ति की Post Track Copy प्रथम पक्ष की ओर से न्यायालय में दाखिल किया गया, तथा वाद को एकपक्षीय सुनवाई करने का अनुरोध किया गया, तत्पश्चात वाद को एक पक्षीय किया गया। प्रथम पक्षगण की ओर दो स्वतंत्र गवाह (1) बिपिन कुमार चौधरी वो (2) कैलाश प्रसाद को न्यायालय में प्रस्तुत किये। दोनों गवाह न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान दिया है कि वर्णित भूमि पर द्वितीय पक्षगण बलपूर्वक अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है। वर्णित भूमि प्रथम पक्षगण की खतियानी भूमि है। अतः विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

प्रथम पक्षगण के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी रैयत नाम लगान पाने वाला मुश्मात धुगीआ वगैरह के नाम बकाशत भूइहरी पहनई दर्ज है और प्रथम पक्षगण की अपनी खतियानी वो खेवटदार की भूमि है। द्वितीय पक्षगण छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के प्रावधानो का उल्लंघन कर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है।

उपरोक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि द्वितीय पक्षगण को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और विवादित भूमि के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत/दाखिल नहीं किये। द्वितीय पक्षगण आदिवासी रैयत की खतियानी कायमी जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का उल्लंघन कर नाजायज एवं गैरकानुनी रुप से दखलकार है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से द्वितीय पक्षगण (1) मो. साबिर, पिता मो. याकुब ने मध्ये रकवा–02 कट्ठा (2) हाजरा खातुन, पति नामालुम ने मध्ये रकवा–01 कट्ठा (3) मो. लियाकत, पिता कबीर मियाँ ने मध्ये रकवा–02 कट्ठा (4) मो. मुस्ताक, पिता मो. इमामुउदीन ने मध्ये रकवा–01 कट्ठा 01 छटांक (5) मो. क्यूप, पिता मो. हनीफ ने मध्ये रकवा 01 कट्ठा 08 छटांक (6) शकीर खातुन, पति नामालुम 03 कट्ठा (7) मो. मुस्तकीम अंसारी, पिता–स्व. हुसैन अंसारी ने मध्ये रकवा–03 कट्ठा (8) मो. वसीम, पिता मो. सलीम ने

M.-J 26/7/23

क्र०पृ०उलटे

मध्ये रकवा–02 कट्ठा (9) जुवैदा खातुन, पति मो॰ सैराज ने मध्ये रकवा–28 कट्ठा पर अवैध रूप से दखलकार है को बेदखल करते हुए, प्रथम पक्षगण को वापस किया जाता है, तथा द्वितीय पक्षगण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, शहर को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार द्वितीय पक्षगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रथम पक्षगण सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।।

लेखापित एवं संशोधित।

M 26/7/23
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
रांची।

M 26/7/23
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
रांची।

ज्ञापांक –   दिनांक –

प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी शहर को प्रश्नगत भूमि पर दखल देहानी हेतु प्रेषित।

M 26/7/23
~~विशेष पदा०~~,
~~रा~~ रांची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.12 12:31:05 +05:30
Location: 192.168.51.130